



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239388
CG-DL-E-06102022-239388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]
No. 258]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

सं. 28/2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 2.107 (एफटीए/सीईसीए के अंतर्गत टीआरक्यू) में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/01/एम-22/पी.सी-2(ख)/ई-31419.—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा पूर्व की सार्वजनिक सूचना सं. 06/2015-20 दिनांक 01.05.2022 और सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015-20 दिनांक 29.08.2022 के तहत अधिसूचित परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक-IV को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली और दूसरी तिमाही में प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अंतर्गत आयात हेतु पहले से जारी टीआरक्यू का दिनांक 30.09.2022 से 30.11.2022 तक पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है। टीआरक्यू आबंटिती निम्नलिखित ऑनलाइन स्टेप्स का अनुसरण करके पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं: डीजीएफटी वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>)--> सेवाएं--> आयात प्रबंधन प्रणाली--> प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू)।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही हेतु प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत टीआरक्यू हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31.08.2022 से बढ़ाकर 10.10.2022 कर दी गई है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही हेतु प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अंतर्गत टीआरक्यू हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को 10.10.2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली और दूसरी तिमाही में प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अंतर्गत आयात हेतु जारी किए गए टीआरक्यू का 30.11.2022 तक पुनर्वैधीकरण किया जाएगा।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 6th October, 2022

No. 28 /2015-2020**Subject : Amendment in Para 2.107 (TRQ under FTA/CECA) of Handbook of Procedure 2015-2020.**

F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/E- 31419.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Annexure-IV of Appendix-2A notified vide earlier Public Notice No. 06/2015-20 dated 01.05.2022 and Public Notice 23/2015-20 dated 29.08.2022 as follows -

1. TRQs already issued for import under tariff head 7108 during 1st and 2nd Quarter of the FY2022-23 shall be revalidated from 30.09.2022 to 30.11.2022. The TRQ Allottees may apply for revalidation online using the following steps: *DGFT Website (<https://dgft.gov.in>) --> Services --> Import Management System --> Tariff Rate Quota (TRQ)*
2. The last date for application TRQ under tariff head 7108 for the 3rd Quarter of FY2022-23 has been extended from 31.08.2022 to 10.10.2022.

Effect of this Public Notice: Last date for applications for TRQs under tariff head 7108 for the 3rd Quarter of the FY2022-23 is extended till 10.10.2022. TRQ issued under tariff head 7108 for the import in 1st and 2nd Quarter of the FY2022-23 shall be revalidated till 30.11.2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.